WWW.LIVELAW.IN

उच्च न्यायालय म.प्र., खंडपीठ, इंदौर
एम.सी.आर.सी. नंबर 45683/2020
अनवर विरूद्ध म0प्र0 राज्य

इंदौर, दिनांकः–26/11/2020

वीडियो कान्फ्रेसिंग द्वारा सुनवाई

याचिकाकर्ता द्वारा श्री मनीष यादव, अधिवक्ता।

राज्य द्वारा श्री सोमिल एकादि, लोक अभियोजक उपस्थित।

अपराध कमांक	धारा	आरक्षी केंद्र	गिरफ्तारी दिनांक
50/2020	188, 505(2) भादवि	कोतवाली, जिला शाजापुर	27/07/2020

01. याचिकाकर्ता द्वारा घोषित अनुसार, उसकी ओर से प्रतिभूति हेतु इस न्यायालय के समक्ष धारा 439 दं.प्र.सं. के अंतर्गत यह **तृतीय** आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है।

02. याचिकाकर्ता के विरूद्ध आक्षेप है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के पारित होने के तत्काल पश्चात् उसके विरोध में अपने वाट्सअप स्टेटस अपडेट करते हुए लिखा कि ''तुमने दिल्ली में एक गोली मारी हमने एम.पी. में और शाजापुर शाहीन बाग बना दिया (NO CAA NRC)।'' उसके इस स्टेटस से धार्मिक सौहार्द्रता और लोक शांति विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना पाते हुए, उसके विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

03. याचिकाकर्ता को 02 जुलाई 2020 को गिरफ्तार किया गया और तभी से वह निरोध में है।

04. प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

05. याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है।

06. याचिकाकर्ता ने प्रस्तावित किया है कि वह भविष्य में इस प्रकार की भावनायें भड़कानेवाला या राष्ट्रीय अस्मिता और अखंडता को प्रभावित करने वाला कोई कृत्य नहीं करेगा और इस आशय का शपथपत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

07. प्रकरण में आयी हुई साक्ष्य, याचिकाकर्ता पर लगाये गये आक्षेप तथा प्रकरण के अन्य तथ्यों एवं परस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुण दोषों पद टिप्पणी किये, याचिका **स्वीकार** की जाती है।

WWW.LIVELAW.IN

08. याचिकाकर्ता द्वारा, अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि योग्य **30,000/–रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की एक सक्षम प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर, उसे निम्नांकित शर्तों के अधीन रहते हुए अभिरक्षा से मुक्त किया जावेः–

1– याचिकाकर्ता विचारण के दौरान नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा और उसमें कोई चूक नहीं करेगा।

2– याचिकाकर्ता अभियोजन साक्ष्य को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।

3– याचिकाकर्ता किसी प्रकार के अपराध कर्म में संलिप्त नहीं होगा। अन्य आपराधिक गतिविधि में लिप्त पाये जाने अथवा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर इस प्रकरण में स्वीकार की गयी प्रतिभूति, निरस्त की जा सकेगी।

4– याचिकाकर्ता, माह फरवरी, मार्च व अप्रेल, 2021 के प्रथम सप्ताह में अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती रश्मि पाण्डे के समक्ष काउंसलिंग के लिए उपस्थित रहेगा और उनके दिये निर्देशों का पालन करेगा। यदि श्रीमती पाण्डे द्वारा कोई विपरीत रिपोर्ट याचिकाकर्ता के आचरण अत्यादि के संबंध में दी जाती है तो याचिकाकर्ता को दी गई प्रतिभूति पर पुर्नविचार किया जा सकेगा।

09. उक्तानुसार, याचिका स्वीकृत एवं निराकृत की जाती है।

(विरेन्दर सिंह)
न्यायाधिपति

अजय केवट

SOURABH YADAV

Digitally signed by SOURABH YADAV
DN: c=IN, o=HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH INDORE, ou=HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH INDORE, postalCode=452001, st=Madhya Pradesh, 2.5.4.20=653a532794a1a894348dd8233e6a00e432bc2e42f6e89877717a8716dc3a1c71, cn=SOURABH YADAV
Date: 2020.11.28 13:49:22 +05'30'